

अति आवश्यक

क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा ।
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 17 जनवरी, 2020

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/1989- 2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019 तथा सस्मरण पत्रों की ओर दिलाउं तथा अनुरोध करूँ कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and Field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अगस्त, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक) (मासिक तौर पर) संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को शीघ्रातिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय के ई-मेल ngiscs2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें ।

अनु वाला

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अनु वाला

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 17 जनवरी, 2020

पृ0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 17 जनवरी, 2020

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

अनु वाला

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।